

पर्या डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

1 पुष्पेन्द्र गोदारा पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
वादी

बनाम्


2 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 30/4/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व प्रतिवादी वकील राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं 7 एसवीएन के खाता सं 94/74, चकनं 5 एमकेएस के खाता सं 179/175, चकनं 8 एम.के.एस के खाता सं 78/62 में दर्ज वादी का नाम पुष्पेन्द्र पुत्र निहालसिंह के स्थान पर सही नाम पुष्पेन्द्र गोदारा पुत्र निहालसिंह नाम दर्ज किया जावे, अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्या डिक्री आज दिनांक 30/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।